न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री बीरबल सिंह शेखावत, आर.ए.एस.
अपील संख्या : 371/2019

1. गोपाल पुत्र श्री छोट्या
2. धन्नी देवी पत्नि छोट्या
   समस्त जाति मीणा, निवासीः खोरामीणा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. धापा देवी पत्नि स्व. जगदीश
2. थानाराम पुत्र स्व. श्री जगदीश
3. लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व. श्री जगदीश
4. बाबूलाल पुत्र स्व. श्री जगदीश
5. संतोष पुत्र स्व. श्री जगदीश
6. नन्दाराम पुत्र भौरया
7. कमलेश कुमार पुत्र भौरया
   समस्त जाति मीणा निवासीः खोरामीणा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
9. उप पंजीयक आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
10. रामकिशन मीणा पुत्र छोटूराम मीणा जाति मीणा निवासीः ग्राम खोरामीणा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

—— रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 14.02.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर, जिला जयपुर वाद संख्या 159/2011 उनवानी जगदीश बनाम नन्दाराम व अन्य अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः

श्री ताराचन्द मीणा एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट्स
श्री प्रेमप्रकाश शर्मा एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 ल. 5 व 10
श्री फूलचन्द पलसानिया एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 6 व 7

निर्णय दिनांकः 16.12.2019

—: निर्णय :—

1. अपीलान्ट की ओर से एक अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर, जिला जयपुर के वाद संख्या 159/2011 बउनवानी जगदीश बनाम नन्दाराम व अन्य में पारित निर्णय डिक्री दिनांक 14.02.2018 के विरूद्व अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद बाबत् विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नंबर 1042, 1043, 1291/2240, 1295, 2055/2310, 2001 एवं 2089 कुल किता 07 कुल रकबा 0.38 हैक्टेयर ग्राम खोरामीणा, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित है जिसमें वादी का शामलाती हिस्सा 1/3 भाग राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त वर्णित आराजी कृषि भूमि में स्थित खसरा नंबरान में से खसरा नंबर 1291/2240 रकबा 0.04 हैक्टेयर तथा खसरा नंबर 1295 रकबा 0.16 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.20 हैक्टेयर भूमि वादग्रस्त है। वादी की उक्त वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 1291/2240 रकबा 0.04 हैक्टेयर तथा खसरा नंबर 1295 रकबा 0.16 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.20 हैक्टेयर भूमि से लगवा ग्राम हरवर की सीमा है। कृषि भूमि विवादग्रस्त का वादी रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है तथा अपने हिस्से में आई हुई भूमि पर सअधिकार काबिज काश्त है व लगान सरकारी भी अपने हिस्सा का संयुक्त रूप से जमा करवाते आ रहे है। वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 1291/2240 रकबा 0.04 हैक्टेयर तथा खसरा नंबर 1295 रकबा 0.16 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.20 हैक्टेयर की भूमि से लगवा ग्राम हरवर तहसील आमेर, जिला जयपुर की कृषि भूमि लगी हुई है तथा लगवा भूमि के खातेदारों से मिलीभगत कर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 उक्त वादग्रस्त भूमि संपूर्ण का बेचान करना चाहते है तथा वादी को बेदखल करना चाहते है जबकि उक्त वादग्रस्त आराजी दोनो खसरा नंबरान में वादी सहखातेदार काश्तकार है जिसमे वादी का शामलाती हिस्सा 1/3 भाग है तथा आज दिन तक भी विवादित आराजीयात का विधिवत तकासमा नहीं किया गया है तथा वादी को यह अधिकार प्राप्त है कि वो अपनी संयुक्त खातेदारी आराजीयात का विधिवत तकासमा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर करवा ले इस कारण वादी को यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अभी कुछ समय पूर्व प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजीयात पर अजनबी व्यक्तियों के साथ आये एवं आराजीयात को विक्रय करने की बातचीत करने लगे जिस पर वादी ने इंकार किया तो प्रतिवादीगण उग्र हो गये एवं मौका मिलते ही आराजीयात को विक्रय करने की धमकी दी। इस कारण वादी को यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी ने वाद के अन्य बिन्दुओं के साथ वाद कारण अंकित करते हुये यह अनुतोष चाहा है कि वादी वाद विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर खसरा नंबर 1291/2240 रकबा 0.04 हैक्टेयर तथा खसरा नंबर 1295 रकबा 0.02 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.20 हैक्टेयर का हाल राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन किया जाकर अलग–अलग पर्चा लगान जारी किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे बाद तकासमा वादी के हिस्से में प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार की मजाहमत ना तो स्वयं द्वारा की जावे एवं ना ही किसी अन्य से करावे। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13.12.2017 को प्राथमिक निर्णय डिक्री पारित कर दिनांक 14.02.2018 को अंतिम डिक्री पारित की गई। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई, रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से यही निवेदन

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट गोपाल की प्रॉपर तामील नहीं करवाई गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री पारित कर तहसीलदार को स्पष्ट निर्देशित दिये थे कि पक्षकारान की उपस्थिति में बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के सिद्धान्त अनुसार कुरैजात प्रस्तुत करे किन्तु तहसीलदार द्वारा बिना अपीलान्ट्स को कोई सूचना दिये अपीलान्ट्स की अनुपस्थिति में राजस्व मंडल के नियम 18 से 21 की पालना किये बिना ही कुरैजात अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जिनका परीक्षण किये बिना ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो गलत है। इस कारण अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.02.2018 खारिज फरमाया जावे। वकील रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलार्थी के कथनों का खंडन करते हुये निवेदन किया कि अपीलान्ट ने अनावश्यक प्रकरण को लंबित रखने के लिये ही यह अपील प्रस्तुत की है यदि उन्हे कोई वास्तविक आपत्ति होती तो वह इस संदर्भ में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकते थे। किन्तु फिर भी अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। अधिनस्थ न्यायालय ने विधिनुसार अंतिम निर्णय डिक्री दिनांक 14.02. 2018 पारित की है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

4. वकील उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। बाद अवलोकन यह पाया कि वादीगण द्वारा विवादग्रस्त आराजीयात के विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत किया गया जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13.12.2017 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर दिनांक 14.02.2018 को अंतिम डिक्री पारित किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात के समुचित अवलोकन पश्चात् पाया गया कि अपीलान्ट द्वारा अंतिम निर्णय व डिक्री के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट का अपील में उठाया गया उज्र कि अपीलान्ट की अधिनस्थ के समक्ष सम्यक रूप से तामील नहीं हुई है एवं ना ही उसके द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई अधिवक्ता नियुक्त किया गया था, उक्त उज्र/तथ्य की सत्यता की जांच अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में करने पर पाया गया कि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलान्ट के बाद तामील नोटिस पर अपीलान्ट संख्या 2 धन्नी देवी जो कि अपीलान्ट संख्या 1 की माता है, के द्वारा नोटिस ग्रहण किये जाने बाबत अंगूठा निशानी इंगित है। अपीलान्ट गोपाल की ओर से अधिवक्ता भी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुये है। साथ ही गोपाल की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. भी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना प्रमाणित है। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा कोर्ट कैम्प दिनांक 09.05.2016 हेतु अपीलान्ट्स को प्रेषित नोटिस भी अपीलान्ट्स के द्वारा ग्रहण किये गये है एवं पत्रावली राजस्व कोर्ट कैम्प की आदेशिका दिनांक 09.05.2016 में अपीलान्ट्स के उपस्थिति स्वरूप हस्ताक्षर भी हो रखे है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अपीलान्ट्स के द्वारा तामील संबंधी जो उज्र उठाये गये है वह निराधार एवं असत्य है। अपीलान्ट्स द्वारा अपनी अपील में उठाये गये अन्य उज्र जो कि प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. व प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. से संबंधित बताये गये है, उक्त प्रार्थना पत्र बाबत समस्त उज्र प्राथमिक डिक्री पारित करने से पूर्व के है एवं अपीलान्ट्स द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्राथमिक डिक्री के विरूद्व कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट्स

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय डिक्री से पूर्णतया संतुष्ट है। अपीलान्ट्स के द्वारा न्यायालय के समक्ष समझौता पत्र दिनांक 07.07.2019 जो कि बिना स्टाम्प पेपर एवं अपंजीकृत दस्तावेज है, कि फोटोप्रति प्रस्तुत की है। जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में ही हस्तगत प्रकरण में अंतिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.02.2018 को ही पारित कर दी गई थी। उक्त समझौता पत्र में समस्त पक्षकारान के द्वारा हस्ताक्षर कर निष्पादित नहीं किया गया है जिस कारण विधि अनुरूप निष्पादित नहीं होने से ग्राह्य एवं गौर किये जाने योग्य नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कुरैजात रिपोर्ट को देखने से स्पष्ट है तहसीलदार द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के आदेशानुसार पक्षकारान की उपस्थिति में राजस्व मंडल के नियम 18 से 21 की पूर्णतया पालना सुनिश्चित करते हुये स्वयं हस्ताक्षर कर तैयार की गई है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि या अनियमितता प्रकट नहीं होने से कुरैजात सही पाये जाते है। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत कुरैजात के आधार पर सही अंतिम डिक्री दिनांक 14.02.2018 को पारित की गई है। जिसके विरूद्व अपीलान्ट्स के द्वारा अपील दिनांक 31.07.2019 को प्रस्तुत की गई है जो कि अपील प्रस्तुति की मियाद 60 दिवस के लगभग 15 माह के पश्चात् प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में जो कारण वर्णित किये है वह संतोषप्रद एवं सद्भावी नहीं है जिससे यह साबित हो कि अपीलान्ट्स द्वारा अपील जानबूझकर प्रस्तुत नहीं की गई है।इस कारण अपील प्रस्तुति में हुई देरी कंडोन योग्य नहीं पायी जाती है जिससे अपीलान्ट्स/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम निराधार होने से खारिज किया जाता है। उपरोक्त समस्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गुणावगुण व राजस्व मंडल के विभाजन संबंधी नियमावली की पालना करते हुये सही अंतिम डिक्री पारित की गई है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि या अनियमितता नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज योग्य पायी जाती है।

5. अतः अपील अपीलार्थी खारिज कर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर द्वारा पारित अंतिम निर्णय डिक्री दिनांक 14.02.2018 यथावत रखा जाता है। पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 16.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर